

एफ.सं. डब्ल्यू-02/0004/2014-डीपीई(मजूरी कक्षा)-जीएल-IX/2022

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
लोक उद्यम विभाग

\*\*\*\*\*

लोक उद्यम भवन,  
ब्लॉक सं. 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,  
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003  
दिनांक: 12 अप्रैल, 2022


कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) के असंगबद्ध पर्यवेक्षकों सहित बोर्ड स्तर के पद और बोर्ड स्तर से नीचे के पद - वेतनमान में संशोधन दिनांक 01.01.1997 से-संशोधित दरों पर आईडीए का भुगतान संबंधी।

\*\*\*\*\*

अधोहस्ताक्षरी को डीपीई के दिनांक 25.06.1999 के कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध-III में नई डीए योजना का संदर्भ लेने का निर्देश दिया गया है, जिसमें बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों और सीपीएसईज़ के गैर-संघीय पर्यवेक्षकों को देय डीए की दरों को दर्शाया गया है। सीपीएसईज़ के कार्यपालकों और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों को देय डीए की दर दिनांक 01.04.2022 से 381.7% है।

- डीए की उपरोक्त दरें अर्थात् 381.7% आईडीए कर्मचारियों के मामले में लागू होंगी, जिन्हें डीपीई के दिनांक 25.06.1999 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार संशोधित वेतनमान (1997) की अनुमति दी गई है।
- भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपनी आगे होने वाली कार्रवाई को आवश्यक कार्रवाई के लिए उनके प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सीपीएसईज़ के ध्यान में लाएं।
- इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

  
(समसुल हक)  
अवर सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

- केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के मुख्य कार्यपालक।
- प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों में वित्तीय सलाहकार।
- व्यय विभाग, स्था.-II शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

4. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली ।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय जापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

२५६१  
(समसुल हक)  
अवर सचिव